

न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)

- / / विविध संसोधन आदेश / / -

क्रमांक / मु०न्या०मजि० / 2023

बालोद, दिनांक-20 / 06 / 2023

आपराधिक कार्य विभाजन के संबंध में पूर्व में जारी सभी कार्य विभाजन आदेशों को अतिक्रमित करते हुये, मैं श्रीमती श्यामवती मराबी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद जिला-बालोद (छ.ग) अंतर्गत धारा-14(1) एवं धारा-15(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर तथा माननीय सत्र न्यायाधीष, बालोद (छ.ग.) के अधीन एवं नियंत्रण में रहते हुये राजस्व जिला बालोद में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मध्य नवीन कार्य विभाजन निम्नानुसार करती हूँ, जो दिनांक-20 / 06 / 2023 से प्रभावशील होगा।

क्रं.	स्तंभ क्र.-2	स्तंभ क्र.-3	स्तंभ क्र.-4
01	02	03	04
01.	श्रीमती श्यामवती मराबी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद छ०ग०	आरक्षी केन्द्र गुरुर, बालोद, यातायात, सनौद, पुरुर, चौकी जी०आर०पी बालोद	1- स्तंभ क्रं.-3 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। 2- नगर पालिका बालोद से नगर पालिका अधिनियम के तहत पेश सभी दांडिक मामलों का निराकरण करना। 3- यातायात पुलिस बालोद द्वारा पेश समस्त आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। 4.- माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक 5021 / तीन-7-7 / 2005 बिलासपुर दिनांक 19.10.2005 के अनुसार सिविल जिला बालोद से उत्पन्न- 1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944, 2. विदेशी व्यापार (विकास और विनियमल) अधिनियम 1992, 3. कम्पनी अधिनियम 1956, 4. धनकर अधिनियम 1957, 5. दानकर अधिनियम 1958, 6. आयकर अधिनियम 1961, 7. सीमा शुल्क अधिनियम 1962,

		<p>8. निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963,</p> <p>9. कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम 1964,</p> <p>10. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969,</p> <p>11. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।</p> <p>5— जिला बालोद के वन परिक्षेत्र बालोद के क्षेत्राधिकार सीमा में उत्पन्न वन अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करना एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>6— जिला बालोद मुख्यालय से आबकारी विभाग बालोद वृत्त द्वारा पेश परिवाद पत्र का निराकरण करना एवं विभाग द्वारा पेश समस्त अभियोग पत्र का निराकरण करना।</p> <p>7— आबकारी वृत्त दल्ली राजहरा, गुण्डरदेही, डौण्डीलोहारा, से उद्भूत धारा-34 (2) छ0ग0 आबकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र तथा आबकारी वृत्त बालोद एवं गुरुर से उत्पन्न समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।</p> <p>8— सिविल जिला बालोद के समस्त थानों से उत्पन्न प्रतिलिप्याकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र का निराकरण करना।</p> <p>9— जिला बालोद के समस्त थानों से उत्पन्न होने वाले ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम के समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। नगर पालिका अधिनियम एवं शेष अन्य स्थानीय अधिनियम के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा पेश किए जाने वाले परिवाद पत्र एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना।</p> <p>10— जिला बालोद से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवं शेष स्थानीय अधिनियम के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा पेश किए जाने वाले परिवाद पत्र एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना।</p> <p>11— जिला बालोद के समस्त थानों से उत्पन्न खारिजी एवं खात्मा के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>12— आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम एवं नापतौल अधिनियम के तहत समस्त आपराधिक</p>
--	--	---

			<p>प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>13- जिला बालोद समस्त थानों से उत्पन्न मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 के अधीन मामलों का निराकरण करना।</p> <p>14- थाना बालोद, सनौद, पुरुर से उत्पन्न होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत पेश परिवाद/आवेदनों का निराकरण करना।</p> <p>15- जिला स्थापना में पूर्व में कार्यरत तथा रिक्त न्यायालयों से उत्पन्न/निराकृत दाण्डिक मामलों/आवेदनों का निराकरण करना।</p> <p>16- माननीय सत्र न्यायाधीश बालोद द्वारा समय समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
02.	<p>कु0 कोनिका यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, बालोद</p>		<p>1- माननीय सत्र न्यायाधीश बालोद एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद द्वारा समय समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p> <p>2- थाना गुरुर, बालोद, एवं चौकी जीआरपी बालोद, के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले मामलों में धारा-164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन दर्ज करना।</p>
03.	<p>(कु0 माधुरी मरकाम) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बालोद, जिला-बालोद, छ0ग0</p>		<p>1- माननीय सत्र न्यायाधीश बालोद एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद द्वारा समय समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p> <p>2- बाल न्यायालय से संबंधित उत्पन्न होने वाले मामलों में धारा-164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन दर्ज करना।</p>
04.	<p>(हेमंत राज धुर्वे) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बालोद, जिला-बालोद छ0ग0</p>		<p>1- माननीय सत्र न्यायाधीश बालोद एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद द्वारा समय समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>

05.	श्री महेश बाबू साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुण्डरदेही	थाना गुण्डरदेही, रनचिरई, अर्जुन्दा	<p>1- स्तंभ क्रं.-3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (उन मामलों को छोड़कर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है।)</p> <p>2- आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।</p> <p>3- आबकारी वृत्त गुण्डरदेही के द्वारा (धारा-34 (2) छ0ग0 आबकारी अधिनियम को छोड़कर) प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र का निराकरण करना।</p> <p>4- थाना गुण्डरदेही, रनचिरई, अर्जुन्दा से उत्पन्न होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत पेश परिवाद/आवेदनों का निराकरण करना।</p> <p>5- थाना सनौद पुरुर, गुरुर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले मामलों में धारा-164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन दर्ज करना।</p> <p>6- माननीय सत्र न्यायाधीश बालोद एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद द्वारा समय समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
06.	श्वेता पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डौण्डी लोहारा	थाना डौण्डी लोहारा, देवरी, मंगचुवा एवं सुरेगांव	<p>1-स्तंभ क्रं.-3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (उन मामलों को छोड़कर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है।)</p> <p>2- आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।</p> <p>3- वन परिक्षेत्र डौण्डी लोहारा के द्वारा भारतीय वन अधिनियम एवं भारतीय वन्य</p>

			<p>प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र का निराकरण करना।</p> <p>4- थाना डौण्डीलोहारा, देवरी, मंगचुवा, सुरेगांव से उत्पन्न होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत पेश परिवाद/आवेदनों का निराकरण करना।</p> <p>5- थाना दल्लीराजहरा, डौण्डी, महामाया के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले मामलों में धारा-164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन दर्ज करना।</p> <p>6- माननीय सत्र न्यायाधीश बालोद एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद द्वारा समय समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
07.	श्रीमती सोनी तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दल्ली राजहरा	थाना दल्ली राजहरा, डौण्डी, महामाया	<p>1-स्तंभ क्रं.-3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (उन मामलों को छोड़कर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है।)</p> <p>2- आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।</p> <p>3- वन परिक्षेत्र डौण्डी के द्वारा भारतीय वन अधिनियम एवं भारतीय वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र का निराकरण करना।</p> <p>4- आबकारी वृत्त दल्ली राजहरा के द्वारा (धारा-34 (2) छ0ग0 आबकारी अधिनियम को छोड़कर) प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र का निराकरण करना।</p> <p>5- थाना दल्लीराजहरा, डौण्डी, महामाया से उत्पन्न होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत पेश परिवाद/आवेदनों का निराकरण करना।</p> <p>6- थाना डौण्डी लोहारा, मंगचुवा, देवरी, सुरेगांव के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले</p>

			<p>मामलों में धारा-164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन दर्ज करना।</p> <p>7- माननीय सत्र न्यायाधीश बालोद एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद द्वारा समय समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
--	--	--	--

-// आवश्यक टीप // -

- 01-** शंका की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद छ0ग0 अथवा उनकी अनुपस्थिति की दशा में जिले में पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों का निराकरण करेंगे।
- 02-** जिला बालोद के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट विधि अनुसार सक्षम होने पर उनकी सुविधा के अनुसार नियमित अंतराल से माह में कम से कम एक बार क्षेत्राधिकार रखने वाले अपने क्षेत्र में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद से अनुमति लेकर माननीय सत्र न्यायाधीश बालोद को सूचित करते हुए चलित न्यायालय लगा सकेंगे।
- 03-** किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य **परिशिष्ट "बी"** के अनुसार संपादित किया जाएगा। स्वीकृति योग्य संक्षिप्त विचारण के मामले में उनके द्वारा पंजीबद्ध एवं निराकृत किए जायेंगे तथा किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय रिक्त होने की स्थिति में **परिशिष्ट "बी"** के अनुसार अत्यावश्यक कार्य संपादित करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा रिक्त न्यायालय के मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिये जाने वाले प्रकरणों का संज्ञान लिया जाकर विधिवत् निराकरण करेंगे।
- 04-** ऐसे अन्य प्रकरण या न्यायिक कार्य जिसका विशिष्ट उल्लेख इस आदेश में न हो, वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।
- 05-** अवकाश पर जाने के पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद को एवं प्रभार वाले मजिस्ट्रेट को प्रस्थान पूर्व अवकाश की सूचना आवश्यक रूप से देंगे तथा अवकाश स्वीकृति पश्चात ही अवकाश पर प्रस्थान करेंगे।
- 06-** **परिशिष्ट-ए** के स्कंभ कं0-1 में उल्लेखित थानों के मामलो में धारा-164 द.प्र.सं. की कार्यवाही स्कंभ कं0-2 के न्यायिक मजिस्ट्रेट दर्ज करेंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में स्कंभ कं0-3 के न्यायिक मजिस्ट्रेट दर्ज करेंगे। इसके पश्चात् क्रमशः स्कंभ कं0 4 एवं 5 के न्यायिक मजिस्ट्रेट दर्ज करेंगे। इसी प्रकार एनडीपीएस एक्ट धारा 52-2(क) के तहत विधिक कार्यवाही की जावेगी।

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद को अनुमोदनार्थ हेतु प्रेषित।

स्थान:- बालोद
दिनांक:-

(श्रीमती श्यामवती मराबी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बालोद छ0ग0।

// परिशिष्ट "ए" //

स्तंभ क्रं 1 में वर्णित थानो का धारा-164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन दर्ज करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम।

// स्तम्भ क्रमांक //

क्रं 0	स्तंभ क्रं. 1 थाना का नाम	स्तंभ क्रं. 2	स्तंभ क्रं. 3	स्तंभ क्रं. 4	स्तंभ क्रं. 5	स्तंभ क्रं. 6
01	थाना-बालोद, गुरुर, चौकी जीआरपी बालोद	कोनिका यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, बालोद	महेश बाबू साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुण्डरदेही	श्वेता पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डौण्डी लोहारा	श्रीमती सोनी तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दल्ली राजहरा	
02.	थाना-रनचिरई, गुण्डरदेही, अर्जुन्दा	कोनिका यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, बालोद	श्वेता पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डौण्डी लोहारा	श्रीमती सोनी तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दल्ली राजहरा	श्रीमती श्यामवती मराबी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद	
03.	थाना-डौण्डीलोहार I, मंगचुवा, सुरेगांव, देवरी	श्रीमती सोनी तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दल्ली राजहरा	कोनिका यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, बालोद	महेश बाबू साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुण्डरदेही	श्रीमती श्यामवती मराबी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद	
04.	थाना-दल्ली राजहरा, महामाया, डौण्डी	श्वेता पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डौण्डी लोहारा	कोनिका यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, बालोद	महेश बाबू साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुण्डरदेही	श्रीमती श्यामवती मराबी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद	
05.	थाना-पुरुर, सनौद	महेश बाबू साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुण्डरदेही	कोनिका यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, बालोद	श्वेता पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डौण्डी लोहारा	श्रीमती सोनी तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दल्ली राजहरा	---

स्थान:- बालोद
दिनांक:-

(श्रीमती श्यामवती मराबी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बालोद छ0ग0।

